

राजस्थान सरकार
गृह(ग्रुप-10) विभाग

क्रमांक:पं.3(1)गृह-10/2022

जयपुर,दिनांक: 20/6/2024

आज्ञा

राजस्थान अभियोजन सेवा नियम 1978 के नियम 9 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर राजस्थान अभियोजन सेवा के निम्नांकित अधिकारी को उप निदेशक अभियोजन से अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (वित्त विभाग की अधिसूचना F.15(1)FD Rules/2017 Pt. जयपुर दिनांक 09.12.2022 के अनुसार Pay Matrix L-21) के पद पर वर्ष 2023-24 की रिक्तियों के प्रति योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है।

क्र.सं.	नाम अधिकारी	वर्ग	रिक्ति की दिनांक
01.	श्री अशोक कुमार जैन पुत्र श्री पुखराज चंदन	अनारक्षित	01.04.2023

उपरोक्त चयनित अधिकारी उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति की तिथि से पदोन्नति के पात्र है किन्तु पदोन्नति का वास्तविक लाभ पदस्थापन आदेश जारी होने के पश्चात् कार्यग्रहण करने की तिथि से देय होंगे। पदोन्नति पर पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेगे।

आज्ञा से,

—sd—
(रवि शर्मा)

शासन सचिव,गृह(विधि)
राजस्थान,जयपुर

प्रतिलिपि:सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव,राज्यपाल महोदय,राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव,माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. उप सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव,गृह
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जयपुर।
5. निदेशक अभियोजन,राजस्थान, जयपुर।
6. संबंधित अधिकारी श्री अशोक कुमार जैन द्वारा:- अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।
7. समस्त संयुक्त/उप निदेशक अभियोजन,राजस्थान।
8. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव,गृह(विधि)
राजस्थान,जयपुर